

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक:.....

प्रेषक:

ई. राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 22 अदद तालाब/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रु0 965.595 लाख (रुपये नौ करोड़ पैसठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 22 अदद तालाब/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रु0 965.595 लाख (रुपये नौ करोड़ पैसठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत राशि रु. 965.595 लाख है। उक्त योजना के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 685 हे. खरीफ एवं लगभग 193 हे. रब्बी लगभग कुल 878 हे. सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है, एवं औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रु. 1,09,977/-प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
4. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्तों के साथ प्रदान की जाती है -
 - (i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।
 - (ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री-लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एवं (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री-लेवल की जाँच असम्बद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।
 - (iii) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमान्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एवं मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।
 - (iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
 - (v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदों का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

- (vi) वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा जिस योजना पर विगत पाँच वर्षों में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।
- (vii) स्वीकृत योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख-रखाव का दायित्व होगा। जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।
- (viii) उपरोक्त कंडिका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) & (vii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।
5. इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा :-
 - (i) बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702 -लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण"
 - (ii) बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702 -लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना 20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण"
6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची / चाईबासा / जमशेदपुर / सरायकेला / गढ़वा / हजारीबाग / रामगढ़ / धनबाद / बोकारो / गोडड़ा / गिरिडीह / कोडरमा / लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।
7. स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

अनु0:- परिशिष्ट-I

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई / संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/कोल्हान प्रमंडल चाईबासा/पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-30/2015राँची, दिनांक: 11.01.2018

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

List of M.I. Renovation Schemes

परिशिष्ट-1

क्रम सं०	योजना का नाम	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	जिला	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	पूर्णजीवि सिंचाई क्षमता			Incidence of Cost	अभि०
						खरीफ	रब्बी	कुल		
1	गोरहिया तालाब का जीर्णोद्धार	गोडडा	गोडडा	बोआरीजोर	57.365	73	0	73	78582	
2	बड़ा डुमरहिर तालाब का जीर्णो	गोडडा	गोडडा	बोआरीजोर	64.600	85	14	99	65253	
3	भुस्का पोखर का जीर्णोद्धार	गोडडा	गोडडा	मेहरमा	57.050	41	5	46	124022	
4	मेघी बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	गोडडा	गोडडा	बोआरीजोर	39.468	38	8	46	85800	
5	कालीजोत मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर	देवघर	सारठ	10.935	7	8	15	72900	
6	डुमरिया बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		देवघर	सारठ	17.598	15	9	24	73325	
7	लगवौ मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		देवघर	सारठ	15.503	11	8	19	81595	
8	रालो तालाब का जीर्णो	हजारीबाग	हजारीबाग	बरही	39.500	30	10	40	98750	
9	दक्षिणवारा छठ तालाब का जीर्णो	हजारीबाग	हजारीबाग	कटकमसांडी	51.990	45	5	50	103980	
10	गोसाई तालाब का जीर्णो	रामगढ़	रामगढ़	चितरपुर	49.546	40	5	45	110102	
11	ग्राम होसिर में बड़का तालाब का जीर्णो कार्य।	बोकारो	बोकारो	गोमिया	51.476	29	20	49	105053	
12	सरायदाहा बड़ा तालाब का जीर्णो	धनबाद	धनबाद	धनबाद	39.329	30	15	45	87398	
13	नूतन पोखर सरकारी तालाब का जीर्णो	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	धालभूमगढ़	39.321	15	7	22	178732	
14	घाघीडीह बांध तालाब का जीर्णो	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	गोलपुरी सह जुगसलाई	41.133	0	0	0		
15	कांदरबेड़ा तालाब का जीर्णो	सरायकेला	सरायकेला	चांडिल	41.010	32	6	38	107921	
16	बड़ा कादल तालाब का जीर्णो	सरायकेला	सरायकेला	राजनगर	80.994	30	7	37	218903	
17	गाड़ाविज सरकारी तालाब का जीर्णो।	चाईबासा	प० सिंहभूम	खूंटपानी	36.932	25	5	30	123107	
18	बड़ा लगडा तालाब का जीर्णोद्धार	चाईबासा	प० सिंहभूम	मंझारी	37.246	25	5	30	124153	
19	चितर कोटा ग्राम में बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार	राँची	राँची	रातू	37.316	13	10	23	162243	
20	पूर्वी मंदिर ऐतिहासिक सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	राँची	राँची	बुडमू	62.273	30	40	70	88961	
21	ग्राम चितविश्राम में विश्वनाथ बांध का जीर्णोद्धार	गढ़वा	गढ़वा	नगरउटारी	35.935	35	0	35	102671	
22	भरगोरा ग्राम में उपरेला आहर का जीर्णोद्धार	गिरिडीह	गिरिडीह	विरनी	59.075	36	6	42	140655	
	योग				965.595	685	193	878		

पत्रांक 73/17-18 ज.सं. दिनांक 11.01.2018

11.01.2018
उप सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग
11/01/18